छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सेस हॅास्टल, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / रजि0 नर्सिंग कां0 / 2019 / 425   रायपुर, दिनांक 28/02/2019

/ / कार्यालयीन ज्ञापन / /

विषयः– **संबंधता शुल्क छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में जमा किये जाने विषयक।**

––::00::––

छ.ग. में संचालित सभी प्रशिक्षण केन्द्र (जी.एन.एम / बी.एस.सी नर्सिंग / पोस्ट बेसीक नर्सिंग / एम.एस.सी नर्सिंग) के प्राचार्य / संचालक को अवगत कराया जाता है कि छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में प्रतिवर्ष संबंधता शुल्क जमा करना अनिवार्य है। संबंधता शुल्क जमा कराये जाने पश्चात् संबंधित संस्था का निरीक्षण छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा किया जाता हैं, तथा निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आगामी वर्ष के लिये अनापत्ती पत्र जारी किया जाता है।

अद्योहस्ताक्षरकर्ता के जानकारी में यह बात आई है, कि कई संस्थाओ ने संबंधता शुल्क जमा नही किया है। अतः सभी संस्था के प्राचार्य / संचालक को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ होने के दिनांक से आज दिनांक तक जमा किये संबंधता शुल्क के संबंध में जानकारी रसीद सहित छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में 15 मार्च 2019 तक प्रेषित करेंगे। जानकारी के आभाव में यह माना जावेगा की संबंधित संस्था ने संबंधता शुल्क जमा नही किया है। तथा तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

टीप :– **वर्ष 2018 – 19 के निरीक्षण हेतु** संस्था **संबंधता शुल्क के साथ आवेदन कार्यालय छ0ग0 काउसिल में दिनाक 30 / 03 / 2019 तक जमा करेंगे।**

रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / रजि0 नर्सिंग कां0 / 2019 / ....   रायपुर, दिनांक ...... / ...... / 2019

प्रतिलिपिः–

1. समस्त प्राचार्य (जी.एन.एम / बी.एस.सी नर्सिंग / पोस्ट बेसीक नर्सिंग / एम.एस.सी नर्सिंग), प्रशिक्षण केंद्र.. की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति ।

रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छत्तीसगढ़